ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–155 / 2022 दायर दिनांक: 24.08.2022
MS NO:- 2022/370 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

हेमराज आ0 रामनाथ जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉं।

– वादी

बनाम

1. **भैरू आ0 मूल्या जाति बलाई चौपदार नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ C/O शंकर चौपदार नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉं। (अपीलाण्ट)।**
2. ओमप्रकाश आ0 किशना जाति बलाई चौपदार नि0 बामनगांव हाल निवासी भैरूजी का चौक किशोरपुरा कोटा।
3. रवी आ0 किशना जाति बलाई चौपदार नि0 बामनगांव हाल निवासी भैरूजी का चौक किशोरपुरा कोटा।
4. पप्पू आ0 किशना जाति बलाई चौपदार नि0 बामनगांव हाल निवासी भैरूजी का चौक किशोरपुरा कोटा।
5. सीताराम आ0 किशना जाति बलाई चौपदार नि0 उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक।
6. बरधी पत्नी मोती जाति बलाई नि0 उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक।
7. गीता पुत्री गोपाल जाति ब्राह्मण नि. बामनगांव हाल पत्नी पप्पू शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 सुंवासा तहसील तालेडा।
8. **मंजू पुत्री गोपाल जाति ब्राह्मण नि. बामनगांव हाल पत्नी रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉं। (अपीलाण्ट)।**
9. सीमा पुत्री गोपाल जाति ब्राह्मण नि0 बामनगांव हाल पत्नी किशन शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 सुंवासा तहसील तालेडा।
10. बीना पत्नी नारायण जाति महाजन नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉं।
11. भूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील भवन नैनवॉं।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन।
अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री महेश योगी।

निर्णय दिनांक 20.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि वादी द्वारा दिनांक 16.05.2016 को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251क के तहत् इस न्यायालय मे पेश किया गया था जिसमे वादी द्वारा ग्राम बामनगांव तहसील नैनवॉं जिला बून्दी की जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खाता संख्या नया 672 पुराना 315 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1904 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा भूमि जो कि वादी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है, मे जाने का एकमात्र गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1886 मे बामनगांव से गंभीरा जाने वाले रास्ते से होकर खसरा नम्बर 2040 एवं खसरा नम्बर 1903 की मेर पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होकर वादी के खातेदारी हक अधिकार कब्जे काश्त के खेत पर जाने के लिए 15 फीट चौडे रास्ते को परिशिष्ट क मे लाल स्याही से प्रदर्शित अनुसार भूराजस्व नक्शा ट्रेस मे दर्ज करवाने का निवेदन किया गया था। उक्त वाद पत्र को दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 भैरू अपीलाण्ट, 5, 6, 8 मंजू अपीलाण्ट की ओर से तत्समय अधिवक्ता श्री भारत भूषण गौत्तम द्वारा वकालातनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद भी जवाब पेश नही किये जाने से जवाब का अवसर बंद कर वादी द्वारा परिशिष्ट क अनुसार चाहा गया रास्ता प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1904 मे खसरा नम्बर 2040 व 1903 की मेर पर से होकर रास्ता दिये जाने बाबत् दिनांक 24.05.2017 को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2017 को पारित निर्णय की अपील प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 8 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां की गयी जिसमे माननीय

न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2019 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.5.2 को निरस्त कर अपीलाण्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नवीन निर्णय पारि करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 26.04.2019 की पालना प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को पुनः तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेश योगी ने वकालातनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा। अपीलाण्ट्स को जवाब हेतु पुनः समुचित अवसर प्रदान कर, कई मर्तबा पुनः जवाब बाबत् अवसर प्रदान किये लेकिन जवाब अप्राप्त होने से जवाब का अवसर बंद किया जाकर दिनांक 13.12.2021 को निर्णय पारित कर वादी के खेत खसरा नम्बर 1904 मे पहुंचने के लिए 2040/3431 व 1903/3436 की मेर पर से रास्ता दिये जाने बाबत् आदेश पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2021 की अपील पुनः प्रतिवादीगण संख्या 1 व 8 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां की गयी जिसमे माननीय न्यायायल द्वारा दिनांक 12.07.2022 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.12.2021 को निरस्त कर अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2022 की पालना मे दिनांक 24.8.2022 को पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री महेश योगी द्वारा वकालातनामा पेश कर जवाब दावा भी पेश किया गया।

आज दिनांक 20.6.2025 को बहस सूनी गयी जिसमे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय को बहाल रखे जाने का निवेदन किया। जिस पर अपीलाण्ट्स विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि वादी ने विधि विरूद्ध वाद पेश किया है। वादी के पास यदि वह वाद पत्र मे अंकित आराजी का खातेदार है, तो आवागमन के लिए उसके पास पूर्व से ही रास्ता निहित है। रास्ता होने की स्थिति मे नया रास्ता बनाये जाने की दशा मे वाद कानूनन विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। साथ ही वादी का वाद विधि विरूद्व व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर झुठा प्रस्तुत किये जाने से खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने विद्वान पक्षकारान द्वारा की गयी बहस का मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णयों का अध्ययन व अवलोकन किया तथा पाया कि ग्राम बामनगांव स्थित वादी की भूमि खसरा नम्बर 1904 पर पहुंचने के लिए इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 13.12.2021 को जो निर्णय पारित किया जाकर रास्ता दिया गया था, वह न्यायोचित होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–109 / 2019

GCMS NO:- 2019/00451 दायर दिनांक: 09.08.2019

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

हेमराज पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–वादी–

बनाम

1. भैरू पुत्र मूल्या जर्ये संरक्षक शंकर जाति बलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. ओमप्रकाश पुत्र किशनाजाति बलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. रवी पुत्र किशना जाति बलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. पप्पू पुत्र किशनाजाति बलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. सीताराम पुत्र मोती जाति बलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
6. बरधी पत्नी मोती जाति बलाई निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
7. गीता पुत्री गोपाल हाल पत्नि पप्पू जाति ब्रहमण निवासी सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
8. मंजू पुत्री गोपाल हाल पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
9. सीमा पुत्री गोपाल हाल पत्नि किशनजाति ब्रहमण निवासी सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
10. बीना पत्नि नारायण जाति महाजन निवासी बामनगांव तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
11. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए एंव 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

वादीगण एवं प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 13.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 1904 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि वादी की भूमि खसरा संख्या 1904 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 1886 में ग्राम बामनगांव से ग्राम गंभीरा जाने वाले कच्चे रास्ते से होकर खसरा संख्या 2040 व 1903 की मेड पर पूर्व से पश्चिक दिशा की ओर होकर वादी की भूमि में पहुंचता हैं। उस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 ने गत सप्ताह से वर्णित रास्ते से वादी को निकलने नही दिया तथा रास्ते को फाडकर अपनी भूमि में मिलाने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि वादी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 26.04.2019 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 को निरस्त कर दिया गया है। पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार वादी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता नहीं है। वादी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 1903 व 2040 की भूमि पूर्व में ही सिवायचक दर्ज हो चुकी है। यह कि खसरा संख्या 1903/3439 में से रकबा 0.0162 है0 तथा खसरा संख्या 2040/3431 में से रकबा 0.0081 है0 अर्थात् कुल रकबा 0.0243 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा निर्णय दिनांक 26.04.2019 एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलाअप केम्प कोर्ट करवर में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में वादी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 1904 रकबा 18 बीघा02 बिस्वा कृषि भूमिपर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 1903/3439 में से रकबा 0.0162 है0 तथा खसरा संख्या 2040/3431 में से रकबा 0.0081 है0 अर्थात् कुल रकबा 0.0243 है0भूमि , जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॅार्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

आंशिक नक्शा खसरा ट्रेस
ग्राम = बामनगांव तह = नैनवां जिला = बूंदी (राज.) परिशिष्ट = "क"

02/12/203
पटवारी
पटवार मण्डल बामनगांव
तह. नैनवां (बूंदी)

खण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)